प्रेस नोट इटावा पुलिस दिनांक- 14.08.2026

#OPERATION CONVICTION

महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान व स्वावलंबन हेतु चलाए जा रहे 'मिशन शक्ति' अभियान तथा अपराधियों को त्वरित सजा दिलाने के लिए जारी 'ऑपरेशन कन्विक्शन' के अंतर्गत इटावा पुलिस/अभियोजन की प्रभावी पैरवी के चलते आज दिनांक 14.08.2026 को निम्न अभियोग में सजा करायी गयी है।

2. थाना-भरथना

इटावा पुलिस/अभियोजन की प्रभावी पैरवी के चलते 01 अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा 20 वर्ष का कारावास व 38,000/- रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही कराये जाने तथा मा0 न्यायालय से दण्डित कराये जाने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री बृजेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में थाना भरथना पैरोकार, व मानीटरिंग सैल द्वारा प्रभावी पैरवी के चलते मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष का कारावास व 38000/- रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

संक्षिप्त विवरण:- थाना भरथना क्षेत्रान्तर्गत अभियुक्त द्वारा वादी की नाबालिग पुत्रीयों को बहला फुसला कर भगा ले जाने के सम्बन्ध में वादी द्वारा दी गई लिखित तहरीर के आधार पर थाना भरथना पर **मु0अ0सं0 542/2020 धारा 363/366/376(3) 120 बी भादवि व 16/17 पाक्सो एक्ट में पंजीकृत किया गया।**

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में **विवेचना अधिकारी उ0नि0 श्री संजीव कुमार** के द्वारा साक्ष्य संकलन किया गया, साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री बृजेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा प्रकरण मे सतत निगरानी बनाये रखते हुये दिये गये निर्देशानुसार अभियोग के गवाहों को थाना भरथना पुलिस टीम, पैरोकार का0 जितेन्द्र सिंह व मानीटरिंग सेल टीम व एडीजीसी श्री देवेन्द्र तिवारी द्वारा नियत तिथियों पर साक्ष्य प्रस्तुत करते हुये व अन्य साक्ष्यों को मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष पेश करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गयी। **जिसके परिणामस्वरुप आज दिनांक 14.08.2026 को अन्तर्गत धारा 363/366/376(3) 120 बी भादवि व 16/17 पाक्सो एक्ट में मा0 न्यायालय टीआरसी/ पॉक्सो कोर्ट इटावा द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष का कारावास व 38000/- रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

सजायाफ्ता अपराधी-

1. **नीलेश पुत्र तहसीलदार निवासी मटियापुर थाना चौबिया जनपद इटावा जनपद इटावा।**